राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1848/2024

नरेश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, अराजपत्रित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के 171 दिवस के अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर वेतन एवं सेवा स्थायीकरण करने के आदेश पारित करने की कृपा करे और अपीलार्थी को 2 वर्ष परिवीक्षा काल पूर्ण होने उपरांत वेतन स्थायीकरण, सेवा नियमित कर परिवीक्षा काल पूर्ण होने की दिनांक से बकाया वेतन का मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान करें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय के पद पर जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 10.02.2016 के द्वारा हुई थी और दिनांक 11.02.2016 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया तथा दिनांक 16.03.2016 को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया। दिनांक 16.03.2016 को कार्यग्रहण किये जाने के बाद से दिनांक 25.11.2017 तक की अवधि कुल 171 दिवस अवकाश पर रहा। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने विभाग को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी के अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने तथा वेतन का स्थायीकरण करने की कार्यवाही के लिये पत्र लिखा। लेकिन इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की आदिनांक तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने एवं वेतन स्थायीकरण करने की कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण अपीलार्थी की नियुक्ति के करीब 8 वर्ष बाद भी निर्धारित वेतन मिल रहा है और सेवायें भी नियमित नहीं हो सकी। अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कई बार स्मरण पत्र प्रेषित किये, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका कथन है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से अपीलार्थी वर्ष 2018 में परिवीक्षा काल पूर्ण कर चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध और अवैतनिक अवकाश के प्रकरण में भी आदिनांक तक कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। इसके बावजूद भी उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किये गये हैं, जो नियम विरूद्ध हैं। अपीलार्थी सेवा नियमों के तहत 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् पूरा वेतन एवं सेवा स्थायीकरण का पूरा लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के 171 दिवस के अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर वेतन एवं सेवा स्थायीकरण करने के आदेश पारित करने की कृपा करे और अपीलार्थी को 2 वर्ष परिवीक्षा काल पूर्ण होने उपरांत वेतन स्थायीकरण, सेवा नियमित कर परिवीक्षा काल पूर्ण होने की दिनांक से बकाया वेतन का मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नियमानुसार परिवीक्षा काल में बिना सूचना के 171 दिवस उपस्थित रहा है, जिसके कारण स्थायीकरण एवं अवकाश में देरी हुई है। अपीलार्थी को नियुक्ति पश्चात् सेवा नियमों के अनुसार

2 वर्ष का परिवीक्षा काल संतोषजनक पूर्ण किया जाना है। जबकि अपीलार्थी बिना सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर रहा। अपीलार्थी का आचरण आदतन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय के पद पर जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 10.02.2016 के द्वारा हुई थी और दिनांक 11.02.2016 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया तथा दिनांक 16.03.2016 को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया। दिनांक 16.03.2016 को कार्यग्रहण किये जाने के बाद से दिनांक 25.11.2017 तक की अवधि कुल 171 दिवस अवकाश पर रहा। जहां तक अपीलार्थी 171 दिवस अवकाश पर रहने पर उसके उक्त अवकाश को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने तथा वेतन एवं सेवा स्थायीकरण नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 10.02.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर ग्रेड पे 4200 में हुई थी, जो नियमित नियुक्ति है और नियमानुसार अपीलार्थी को 2 वर्ष का परिवीक्षा काल में नियमानुसार निर्धारित नियत पारिश्रमिक रूपये 14,660/– प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से दिये जाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी परिवीक्षा काल के दौरान दिनांक 16.03.2016 को कार्यग्रहण किये जाने के बाद से दिनांक 25.11.2017 तक कुल 171 दिवस की अवधि तक अवकाश पर रहा। परंतु अनुलग्नक–4 एवं 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के संबंध में उक्त अवकाश स्वीकृत करने बाबत् अतिरिक्त निदेशक को पत्र लिखे गये, परंतु विभाग द्वारा उक्त पत्रों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपीलार्थी का स्थायीकरण/नियमितिकरण किया गया है और न ही अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया है, जबकि अपीलार्थी को सेवा में नियुक्त हुये 8 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच आदि भी लंबित नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सेवा लाभ आदि दिये जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया जाना नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। जबकि अपीलार्थी सेवा नियमों

के अनुसार सेवा स्थायीकरण एवं वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि परिवीक्षा काल के दौरान अपीलार्थी द्वारा उपभोग किये गये अवकाशों जो आदेश दिनांक 12.06.2018 (अनुलग्नक–3) के अनुसार कुल 171 दिवस की अवधि का सेवा नियमों के तहत नियमानुसार स्वीकृत करते हुये उसके परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि से उसकी सेवायें स्थायी/नियमितिकरण करते हुये उसे समस्त सेवा लाभ आदि नियमानुसार प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष